FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

भागीरथ वगै0 बनाम जगदीश वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राज0 का0 अधि0 मु0नं0 292 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/461

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25-06-2025	रिपोर्ट सरिश्ता होकर पत्रावली पेश हुई। आवेदक/प्रार्थी की ओर से श्री यतेश पूनियां एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में रास्ते के संबंध में जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर एवं अप्रार्थीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाकर मिसल दिनांक 14.07.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14/07/2025	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण सं० 2, 14 ता 18, 22 ता 29 की ओर से श्री दिनेश कुमावत एड० ने मेमो पेश किया तथा अप्रार्थीगण सं० 1, 3, 4, 9 ता 13, 21 की ओर से श्री दिनेश कुमावत एड० ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किये गये। शेष अप्रार्थीगण की तामील असम्यक रूप से होना पायी गयी। पुन: सम्मन तलबाना पेश होने पर जारी हो। वास्ते पेश होने वकालतनामा व जवाब अप्रार्थीगण एवं तलबी शेष अप्रार्थीगण सं० 5 ता 8, 19, 20 व 30 मिसल दिनांक 24/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24/7	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ [illegible] आज अदालती [illegible] रखा है। पत्रावली [illegible] [illegible] (हस्ताक्षर)	
	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ [illegible] आज अदालती कार्य का [illegible] रखा है। पत्रावली पूर्व [illegible] दिनांक 4/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:34:23 IST
Reason: SelfAttested

04/08/2025

वकुलाय उप० प्रतिवादी सं० 1,3,4,22,26 वा 29 की ओर से श्री जसवंत मीणा एड० ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण सं० 5 ता 8, 19 व 20 की तामील पूर्व में सम्यक रुप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादीगण सं० 5 ता 8, 19 व 20 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते पेश होने वकालतनामा व जवाब मिसल दिनांक 11/8/25 को पेश हो।

11/08

पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 13/8/25
को पेश हों।

13/8/25

पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 28/8/25
को पेश हों।

28/08/25

वकुलाय उप० वकील अप्रार्थीगण ने प्रा० पत्र सं० धा० 10, 151 CPC पेश किया जिसकी नकल वकील प्रतिपक्ष को दिलवायी जाकर शामिल मिसल किया गया। वास्ते पेश होने जवाब प्रा० पत्र U/S 10, 151 CPC मिसल दिनांक 03/09/2025 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:34:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10/09/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। वकील प्रार्थी ने पूर्व में जवाब प्रार्थना पत्र अं0 धारा 10, 151 सीपीसी पेश किया जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। प्रार्थना पत्र अं0 धारा 10, 151 सीपीसी पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 16.09.2025 को पेश हो।

16/09/2025

वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अं0 धारा 10, 151 सीपीसी पर बहस वकुलाय पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण (प्रार्थना पत्र अं0 धारा 10, 151 सीपीसी) ने प्रार्थना पत्र अं0 धारा 10, 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारी हर्जे के साथ खारिज फरमाने का निवेदन किया। वकील प्रतिपक्ष ने जवाब प्रार्थना पत्र अं0 धारा 10, 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अं0 धारा 10, 151 सीपीसी चलने योग्य नही होने के कारण मय हर्जा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रार्थना पत्र अं0 धारा 10, 151 सीपीसी एवं जवाब प्रार्थना पत्र अं0 धारा 10, 151 सीपीसी का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थना पत्र अं0 धारा 10, 151 सीपीसी में अंकित संबंधित अन्य प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष मु0सं0 25/2025 उनवानी भागीरथ बनाम ईशरा वगै0 अन्तर्गत धारा 251 [illegible] पेश किया गया था जो कि अन्यत्र न्यायालय में भिन्न अनुतोष [illegible] साथ पेश किया गया हैं एवं उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] वर्तमान में न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना में विचाराधीन होना नहीं बताया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अं0 धारा 10, 151 सीपीसी खारिज किया जाता हैं। वास्ते पेश होने जवाब मूल प्रार्थना पत्र मिसल दिनांक 24.09.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Si
Yadav
Date: 2025.10.28 12:34:23 IS
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म ... तामील में ...
24.09.2025	वकील प्रार्थी उप0। वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण का जवाब बन्द करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाकर मिसल दिनांक 29/09/25 को पेश हो।	
29/09/2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। वकील अप्रार्थीगण ने आपत्ति पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी नकल वकील प्रतिपक्ष को दिलवायी जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटी एक्ट पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 06.10.2025 को पेश हो।	
06/10/2025	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। वकील अप्रार्थीगण ने दस्तावेजों की सूची कुल दस्तावेज 02 पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटी एक्ट पर बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरान बहस वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटी एक्ट स्वीकार करमाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने तहसीलदार रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए निवेदन किया कि हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण से साज कर वास्तविक कदीमी रास्ते के तथ्यों को छुपाकर मिथ्या तथ्य अंकित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer S
Yadav
Date: 2025.10.28 12:34:23
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

कर रिपोर्ट पेश की हैं। राजस्व ग्राम चला के भूमि ख0नं0 1767, 1838 ता 1842 में जाने के लिये कदीमी रास्ते का अंकन अपनी रिपोर्ट में नही किया हैं। उक्त भूमि खसरा नम्बरान में जाने के लिये कदीमी रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1962/1758 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे होकर भूमि खसरा नम्बर 1767 की पश्चिमी सीमा के सहारे होते हुये अप्रार्थीगण सं0 14 ता 18 के मकानों से होकर भूमि खसरा नम्बर 1838 ता 1842 में जाता हैं। यह कदीमी रास्ता प्रारम्भ से ही प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण व अन्य भूमियों के खातेदारान को अपनी अपनी कृषि भूमियों में आने जाने के लिये उपयोग में लेते आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1767 के मध्य से होकर रास्ते की मांग की हैं जो कि राजस्व नियमानुसार गलत हैं। अतः पटवारी हल्का रिपोर्ट निरस्त कर पुनः वास्तविक मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं पेशशुदा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में अपनी सहखातेदारी की भूमि ख0नं0 1839 राजस्व ग्राम चला में आने जाने के लिए रास्ते का अनुतोष चाहता हैं। प्रार्थीया सं0 3 की भूमि ख0नं0 1962/1758 ग्रामीण सड़क से लगती हुई हैं तथा प्रार्थी सं0 1 व 2 की खातेदारी भूमि ख0नं0 1839 हैं जिसके लिये रास्ता प्रार्थीया सं0 3 की खातेदारी भूमि ख0नं0 1962/1758 से होते हुये अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 1767 से होकर जाता हैं। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया उक्त रास्ता प्रार्थीगण की भूमि से लगता हुआ निकटतम/ न्यूनतम रास्ता है एवं आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नही हैं। वकील अप्रार्थीगण द्वारा सुझाया गया रास्ता भी ख0नं0 1767 के मध्य से गुजर रहा हैं एवं प्रस्तावित रास्ते से अपेक्षाकृत बहुत लम्बा हैं जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (ए) में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नही हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थीगण की तन ग्राम चला तहसील नीमकाथाना अवस्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1839 में आने जाने के लिए भूमि ख0नं0 1767 में से मुताबिक नक्शा ट्रेस व तहसीलदार रिपोर्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थीगण से उक्त रास्ता भूमि की डीएलसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:34:23 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व इस हुक में जारी
	दर से दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को दिलवायी जाकर उक्तानुसार रास्ता कायम किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:34:23 IST
Reason: SelfAttested